उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-6/130/एक-1-2016-1-1(31)/2003-116

लखनऊ: दिनॉक: 03 फरवरी, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1862/एक-1-2016-1-1(31)/2003-116, दिनॉक 15.12.2015 द्वारा महामंगकोल छाय धम्मा डिवोटेड लैण्ड फार पीसफुलनेस फाउण्डेशन, श्रावस्ती मेडिटेशन सेन्टर एवं वृक्षारोपण तथा परियोजना से सम्बन्धित भवन निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 154 (2) के अधीन नियत सीमा से अधिक अवशेष भूमि को क्रय करने की अवधि तथा संस्था और काश्तकरों के मध्य भूमियों के क्रय-विक्रय की अनुमति कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन दी गयी है।

2. जिलाधिकारी, श्रावस्ती के पत्र संख्या-1957/डीएलआरसी/2015, दिनॉक 27.12.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राजस्व अनुभाग-1 की शासनादेश संख्या-1862/एक-1-2016-1-1(31)/2003-116, दिनॉक 15.12.2015 के प्रस्तर-4 में उल्लिखित संस्था और काश्तकारों के मध्य क्रय-विक्रय हेतु अंकित भूमियों की तालिका को हटाते हुए उक्त शासनादेश में वर्णित अन्य शर्ते एवं प्राविधानों को यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त शासनादेश दिनॉक 15.12.2015 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाये। शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-130(1)/एक-1-2016-1-1(31)/2003-116 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा ।
3. जिलाधिकारी, श्रावस्ती।
4. महासचिव, महामंगकोल छाय धम्मा डिवोटेड लैण्ड फार पीसफुलनेस फाउण्डेशन ,ग्राम कटरा परगना व तहसील इकौना जनपद श्रावस्ती।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in

shasnadesh.up.nic.in